फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**
मिथलेश बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0– 138/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.03.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.ए. हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 687, 574 वाके ग्राम बहरावण्डा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसमें बतौर खातेदार प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र रमेश दर्ज है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम मिथलेश कुमार चतुर्वेदी पुत्र रमेश चन्द्र चतुर्वेदी है एवं दस्तावेजात में भी प्रार्थी का उक्त सही नाम ही अंकित है। लेकिन राजस्व कर्मियों की गलती के कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के गलत नाम का इन्द्राज हो गया, जिसे सही किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिए जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार द्वारा पेश जवाब स्टेट/रिपोर्ट से भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का सही नाम मिथलेश कुमार चतुर्वेदी पुत्र रमेश चन्द्र चतुर्वेदी है। प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम मिथलेश कुमार चतुर्वेदी पुत्र रमेश चन्द्र चतुर्वेदी दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के गलत नाम का इन्द्राज किया गया है जो कि दुरूस्त किए जाने योग्य है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र रमेश के स्थान पर मिथलेश कुमार चतुर्वेदी पुत्र रमेश चन्द्र चतुर्वेदी दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है। तहसीलदार उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में पालना करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	